''ग्राम उदय से भारत उदय अभियान'' मध्यप्रदेष

प्रपत्रों को भरे जाने के संबंध में सामान्य निर्देश

–=000=–

- प्रपत्र–1 एवं प्रपत्र–2 के आधार पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में पृथक–पृथक "आवेदन/माँग पंजी" तथा "शिकायत पंजी" बनाई जाएगी।
- प्रपत्र–3 में अभियान के दौरान ग्राम पंचायत की स्थायी परिसंपत्ति पंजी को अद्यतन किया जाएगा। यदि पंजी संधारित नहीं है तो इसी अवधि में पंजी का संधारण किया जाएगा।
- अभियान के दौरान पर्यवेक्षण अधिकारी के भ्रमण के समय इन पंजियों का अवलोकन अनिवार्य रूप से कराया जाकर उनके हस्ताक्षर लिये जाएं।
- प्रपत्र–4 में बिन्दु 1 से 24 तक के प्रपत्र पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा सामाजिक न्याय, पशुपालन, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन, खाद्य, राजस्व, महिला बाल विकास, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण विभागों के कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति, अभियान के दौरान उन योजनाओं में की गई कार्यवाही तथा अभियान समाप्ति पर उन योजनाओं की प्रगति परिलक्षित करते हैं।
- इन प्रपत्रों में डाटा प्रविष्टि त्रि–दिवसीय ग्राम संसद के दौरान प्राप्त आवेदनों के आधार पर सतत् रूप से की जाएगी। प्रपत्रों की प्रविष्टि के उपरांत उन्हें पंचायत पोर्टल पर अपलोड करने की व्यवस्था पृथक से की जा रही है। अतः जिस ग्राम पंचायत में त्रि–दिवसीय ग्राम संसद समाप्त होगी उसके तत्काल पश्चात् प्रपत्रों के आधार पर तत्समय उपलब्ध आंकड़ों की प्रविष्टि पंचायत पोर्टल पर तुरंत की जाए। अभियान के अंतिम सप्ताह में 31 मई 2016 तक शेष समस्त कॉलम की प्रविष्टि पोर्टल पर की जाए।
- अभियान के दौरान विभिन्न योजनाओं में प्राप्त आवेदनों पर सक्षम अधिकारी की कार्यवाही के उपरांत आवेदन का निराकरण करते हुए पुनः प्रविष्टि पत्रकों में की जाएगी जिसके आधार पर मई के अंतिम सप्ताह में आयोजित होने वाली एक दिवसीय ग्राम सभा में की गई कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।
- अभियान की समाप्ति के पश्चात् इन प्रपत्रों के आधार पर पंचायत पोर्टल पर भी प्रविष्टियां अपलोड की जाएंगी।
- यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अभियान के दौरान प्राप्त आवेदनों पर की गई कार्यवाही से संबंधित विभाग द्वारा आवेदक को लिखित में मई के अंतिम सप्ताह तक अनिवार्यतः सूचित किया जाए।
- प्रपत्र–4 के बिन्दु 24 के उपरांत कृषि विभाग की योजना से संबंधित परिशिष्ट 1 के बिन्दु क्र. 1 से 31 तक की जानकारी क्षेत्रीय कृषि विस्तार अधिकारी के सहयोग से भरा जाएगा।
- कृषि विभाग के प्रपत्रों के पश्चात् शिक्षा विभाग के प्रपत्र–1 तथा 2 भरे जाऐंगे जो क्रमशः ग्राम/वार्ड शिक्षा रजिस्टर एवं शाला विकास योजना वर्ष 2016–17 से संबंधित है।
- अंत में ग्राम पंचायत विकास योजना (ळच्क्च) के पत्रक संलग्न हैं जिसमें वर्ष 2016–17 से वर्ष 2020–21 तक की पंचवर्षीय योजना तैयार की जाएगी।
- ळच्क्च के पत्रकों के अंत में ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, नोडल अधिकारी, महिला पंच, ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले सभी ग्रामों के कम से कम एक पंच के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से किए जाएँगे।
- अभियान की प्रगति संबंधी आंकड़ों को दर्ज करने के लिये "मोबाईल एप" की व्यवस्था की जा रही है। नोडल अधिकारियों/सचिवों से अपेक्षा है कि वे अभियान के दौरान मोबाईल एप का अधिकाधिक उपयोग करें, ताकि राज्य स्तर तक प्रगति की रिपोर्ट कम समय में प्राप्त हो सके।
- समस्त प्रपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर सचिव एवं नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से लिए जाएं।

–=000=–

''ग्राम उदय से भारत उदय अभियान'' मध्यप्रदेष

प्रपत्र–1

आवेदन/माँग पंजी

जिला..... विकास खण्ड.....ग्राम पंचायत.....

क्र.	विभाग	योजना का नाम	ग्राम का नाम	आवेदक का नाम	पिता का नाम	वर्ग अजा/अजजा अपिव/अन्य	मोबाईल नम्बर	महिला/ पुरूष	आवेदन का दिनांक	आवेदन का विषय	निराकरण पात्र/अपात्र	निराकरण का स्तर ग्रा0पं/ज.पं. /जिला	सेवा प्रदायगी का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

प्रपत्र–2

शिकायत पंजी

जिला..... विकास खण्ड.....ग्राम पंचायत.....

क्र.	विभाग	योजना का नाम	ग्राम का नाम	आवेदक का नाम	पिता का नाम	वर्ग अजा/अजजा अपिव/अन्य	मोबाईल नम्बर	महिला/ पुरूष	शिकायत का दिनांक	विषय वस्तु	निराकरण का स्तर ग्रा0पं/ज. पं./जिला	निराकरणकर्ता अधिकारी का नाम/पदनाम	निराकरण प्रतिवेदन प्राप्ति का दिनांक	शिकायत सही अथवा गलत	दोषी अधि. / कर्म./अन्य (यदि हो)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

''ग्राम उदय से भारत उदय अभियान'' मध्यप्रदेष

प्रपत्र–3

ग्राम पंचायत की स्थायी परिसम्पत्तियों की पंजी

जिला..... विकास खण्ड.....ग्राम पंचायत.....

क्र.	ग्राम का नाम	कार्य का प्रकार	कार्य का नाम	स्वीकृति का वर्ष	निर्माण कार्य की पूर्णता का वर्ष	योजना	विभाग का नाम	निमार्ण एजेंसी	लागत रूपये में	वर्तमान स्थिति ;उपयुक्त/ सुधार योग्य/अपलेखन योग्यद्ध	यदि सुधार योग्य है तो आवष्यक अनुमानित राषि	यदि अपलेखन योग्य है तो अपलेखन की लक्ष्य दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

नोट :– स्थाई परिसंपत्ति अर्थात समस्त प्रकार के शासकीय भवन, सार्वजनिक कूप, सार्वजनिक हैन्डपंप, नल–जल योजना, समस्त प्रकार के आंतरिक मार्ग, शासकीय तालाब, पुल–पुलिया, सार्वजनिक खेल मैदान, श्मशानघाट/कब्रिस्तान एवं शासकीय मद से निर्मित अन्य अधोसंरचनाएँ। केवल सामुदायिक कार्यो की जानकारी दर्ज की जानी है

''ग्राम उदय से भारत उदय अभियान'' मध्यप्रदेष

प्रपत्र–4

ग्राम पंचायत स्तर का ''ग्राम उदय से भारत उदय'' अभियान हेतु प्रतिवेदन प्रारूप

- जिला..... जनपद पंचायत .....ग्राम पंचायत.....ग्राम संसद का दिनांक ..... से ..... तक
- नोडल अधिकारी का नाम ..... पद.....मोबाईल नंबर .....
- ग्राम पंचायत सचिव का नाम .....मोबाईल नंबर .....
- ग्राम पंचायत की डिजीटल कनेक्टिविटी की स्थिति – ब्रॉडबैंड/2–जी/3–जी/4–जी

1. ग्राम संसद में प्राप्त आवेदनों तथा षिकायतों का पत्रक

क्र.	ग्राम संसद की तिथि (.....से..... तक)	ग्राम संसद में उपस्थित ग्रामीणों की संख्या		ग्राम संसद में प्राप्त कुल आवेदनों/माँगों की संख्या	ग्राम संसद में प्राप्त कुल षिकायतों की संख्या	प्राप्त आवेदन/माँग की अद्यतन स्थिति			प्राप्त षिकायतों की अद्यतन स्थिति	
		महिला	पुरुष			स्वीकृत	अस्वीकृत	प्रक्रियाधीन	सही	गलत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

टीप : 1. नोडल अधिकारी/सचिव द्वारा कॉलम क्र. 1 से 6 तक की जानकारी ग्राम संसद की समाप्ति के अगले दिन पंचायत पोर्टल पर अनिवार्यतः प्रविष्ट किया जाए।
2. नोडल अधिकारी/सचिव द्वारा कॉलम क्र. 7 से 11 तक की जानकारी अभियान के अंतिम सप्ताह में 31 मई, 2016 तक अनिवार्यतः प्रविष्ट किए जाएँ।

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर ..... **सचिव के हस्ताक्षर.....**

2. बीपीएल सूची का वाचन ' :–

क्र.	कुल परिवार	कुल बीपीएल परिवार	बीपीएल सूची का वाचन दिनांक	वाचन के समय उपस्थित ग्रामीणों की संख्या	बीपीएल सूची में नाम जोडने हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या			बीपीएल सूची से नाम काटने हेतु आवेदन/प्रस्ताव			सक्षम अधिकारी द्वारा निराकृत आवेदन/प्रस्ताव		अभियान समाप्ति उपरांत कुल बीपीएल परिवारों की संख्या
					कुल प्राप्त	पात्र	अपात्र	कुल प्राप्त	मान्य	अमान्य	कुल पात्र जिनके नाम जोड़े गए	कुल मान्य जिनके नाम काटे गए	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

' प्रत्येक ग्राम में वाचन किया जाए।

3. श्रमिक संवर्ग सूची का वाचन ':–

क्र.	कुल परिवार	कुल श्रमिक संवर्ग परिवार	श्रमिक संवर्ग सूची का वाचन दिनांक	वाचन के समय उपस्थित ग्रामीणों की संख्या	श्रमिक संवर्ग सूची में नाम जोडने हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या			श्रमिक संवर्ग सूची से नाम काटने हेतु आवेदन/प्रस्ताव			सक्षम अधिकारी द्वारा निराकृत आवेदन/प्रस्ताव		अभियान समाप्ति उपरांत कुल श्रमिक संवर्ग परिवारों की संख्या
					कुल प्राप्त	पात्र	अपात्र	कुल प्राप्त	मान्य	अमान्य	कुल पात्र जिनके नाम जोड़े गए	कुल मान्य जिनके नाम काटे गए	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

' प्रत्येक ग्राम में वाचन किया जाए।

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर ..... **सचिव के हस्ताक्षर.....**

4. छात्रवृत्ति :–

क्र.	विद्यालयों में प्रविष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों की संख्या	उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बच्चों की संख्या जिनके जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त है	इस अभियान के दौरान शेष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बच्चों में से कितने बच्चों को जारी प्रमाण–पत्र की संख्या
1	2	3	4

5. लाड़ली लक्ष्मी योजना :–

क्र.	अभियान प्रारंभ के समय कुल लाभांवित बच्चियों की संख्या	अभियान के दौरान प्राप्त नवीन आवेदन	प्राप्त आवेदन में से		अभियान समाप्ति पर लाड़ली लक्ष्मी योजना में कुल लाभांवित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4	5	6

6. जाति प्रमाण पत्र :–

क्र.	प्राप्त आवेदन			स्वीकृत			अभियान समाप्ति पर कुल प्रदाय किए गए प्रमाण–पत्र		
	अजा	अजजा	अपिव	अजा	अजजा	अपिव	अजा	अजजा	अपिव
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7. नामांतरण/बंटवारा सीमांकन :–

क्र.	प्राप्त आवेदन					निराकरण				
	अविवादित नामांतरण	विवादित नामांतरण	अविवादित बंटवारा	विवादित बंटवारा	सीमांकन	अविवादित नामांतरण	विवादित नामांतरण	अविवादित बंटवारा	विवादित बंटवारा	सीमांकन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर ..... **सचिव के हस्ताक्षर.....**

8. स्थाई परिसंपत्ति रजिस्टर :–

क्र.	रजिस्टर संधारित हाँ या नहीं	वर्तमान में रजिस्टर में दर्ज स्थाई परिसंपत्तियों की संख्या	अभियान के दौरान दर्ज कराई गई स्थाई परिसंपत्तियों की संख्या	अभियान समाप्ति पर कुल दर्ज स्थाई परिसंपत्तियाँ
1	2	3	4	5

नोट :– 1. वर्तमान में रजिस्टर नहीं बना है तो बनाकर दर्ज करें।

2. स्थाई परिसंपत्ति अर्थात समस्त प्रकार के शासकीय भवन, सार्वजनिक कूप, सार्वजनिक हैन्डपंप, नल–जल योजना, समस्त प्रकार के आंतरिक मार्ग, शासकीय तालाब, पुल–पुलिया, सार्वजनिक खेल मैदान, श्मशानघाट/कब्रिस्तान एवं शासकीय मद से निर्मित अन्य अधोसंरचनाएँ।

9. समग्र डाटाबेस :–

क्र.	पोर्टल पर दर्ज परिवारों / सदस्यों की संख्या	समग्र डाटा बेस के आधार पर वर्तमान स्थिति			अभियान के दौरान समग्र पोर्टल पर अद्यतन/प्राप्त की गई स्थिति			समग्र पोर्टल से हटाए गये, एक से अधिक बार दर्ज (डुप्लीकेट) परिवारों/सदस्य की संख्या
		कितने व्यक्तियों के आधार सीडिंग है (संख्या)	कितने व्यक्तियों के बैंक एकाउन्ट नं. है (संख्या)	कितने व्यक्तियों के मोबाईल नं. है (संख्या)	आधार सीडिंग किये गये नये व्यक्तियों की संख्या	नये एकाउन्ट नं. की संख्या	नये प्राप्त मोबाईल नं. की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर ..... **सचिव के हस्ताक्षर.....**

10. पेंषन योजनाएं :–

योजना का नाम	कुल लाभांवित हितग्राही	पात्र हितग्राही की संख्या	अपात्र हितग्राही की संख्या	किस माह तक पेंषन का भुगतान हुआ है	पेंषन का लाभ प्राप्त करने हेतु		
					कुल प्राप्त आवेदन	पात्र	अप्राप्त
1	2	3	4	5	6	7	8
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना							
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंषन योजना							
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःषक्त पेंषन योजना							
सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना							
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंषन योजना							
मानसिक रूप से अविकसित/बहुविकलांग को आर्थिक सहायता							

11. पेंषन योजनाओं में आधार/अकाउण्ट/मोबाईल नं. की प्रविष्टि :–

योजना का नाम	पेंषन के हितग्राहियों की संख्या	अभियान के दौरान कुल प्राप्त आधार नम्बर	अभियान के दौरान कुल प्राप्त बैंक खाता नम्बर	अभियान के दौरान कुल प्राप्त मोबाईल नम्बर	अभियान के दौरान कुल प्राप्त फोटो	अभियान के दौरान कुल प्राप्त निःषक्तता प्रमाण–पत्र
1	2	3	4	5	6	7
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना						
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंषन योजना						
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःषक्त पेंषन योजना						
सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना						
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंषन योजना						
मानसिक रूप से अविकसित/बहुविकलांग को आर्थिक सहायता						
कुल योग						

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर ..... **सचिव के हस्ताक्षर.....**

12. (1) मनरेगा :–

क्र.	कुल जॉब कार्ड धारी की संख्या	आज की स्थिति में आधार सीडेड जॉबकार्डधारियों की संख्या	अभियान के दौरान आधार सीडिंग किये गए जॉबकार्डधारियों की संख्या	कुल (3+4)
1	2	3	4	5

12. (2) मनरेगा :–

क्रं.	कुल लंबित कार्यों की संख्या	लंबित कार्यों में से साध्य नहीं होने के कारण समाप्त किए जाने वाले कार्यों की संख्या	शेष कार्यों की पूर्णता हेतु लक्ष्य दिनांक	नवीन रूप से स्वीकृति हेतु चिन्हित जल संरचनाओं की संख्या			चिन्हित जल संरचनाओं की अनुमानित राषि		
				सामुदायिक	हितग्राही मूलक		सामुदायिक	हितग्राही मूलक	
					अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

13 दिव्यांग :–

क्रं	पूर्व वर्षों में जारी किये गये कुल दिव्यांग प्रमाण पत्रों की संख्या	अभियान के दौरान नवीन आवेदन की संख्या	मेडिकल बोर्ड द्वारा 23.05.2016 तक पात्र पाये गये व्यक्तियों को वितरित प्रमाण पत्रों की संख्या	अभियान के दौरान उपकरण प्राप्त दिव्यांगों की संख्या	शल्य चिकित्सा हेतु चिन्हित दिव्यांगों की संख्या
1	2	3	4	5	6

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर .....

सचिव के हस्ताक्षर.....

14. पशुपालन (पशु स्वास्थ्य परीक्षण/टीकाकरण) :–

क्र.	परीक्षण शिविर का दिनांक	कुल परीक्षित/उपचारित/टीकाकृत पशुओं की संख्या
1	2	3

15 स्वच्छ भारत मिषन :–

क्र.	कुल रहवासी घरों की संख्या	अभियान के दौरान कुल निर्मित शौचालयों की संख्या	कुल उपयोगी शौचालययुक्त घरों की संख्या	क्या अभियान के दौरान ग्राम पंचायत ओ.डी. एफ. घोषित हुआ हॉ/नहीं	यदि नही तो ओ. डी.एफ. होने का संकल्पित दिनांक	क्या ग्राम पंचायत के सभी में खुले में शौच बन्द करने हेतु निगरानी समिति गठित है हॉ/नहीं
1	2	3	4	5	6	7

16 इंदिरा आवास योजना :–

क्रं.	वर्ष	हितग्राहियों की संख्या	प्रथम किश्त हितग्राहियों की संख्या		द्वितीय किश्त हितग्राहियों की संख्या		अभियान के दौरान किश्त प्रदाय की संख्या		दोनों किश्त प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के आवास पूर्णता की स्थिति		अभियान के दौरान पूर्ण किये गये आवासों की संख्या
			प्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त	अप्राप्त	प्रथम	द्वितीय	पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर ..... **सचिव के हस्ताक्षर.....**

17 मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन :–

क्र.	समूह में जुडे हितग्राहियों की संख्या	ग्राम में गठित स्व–सहायता समूहों की संख्या	अभियान अवधि में गठित नवीन स्व–सहायता समूहों की संख्या
1	2	3	4

18 महिला स्वास्थ्य परीक्षण :–

क्र.	परीक्षण का दिनांक	परीक्षण का स्थल/उपस्वास्थ्य केन्द्र/विकास खण्ड/जिला स्तर	कुल उपस्थित एवं परीक्षित महिलाओं की संख्या
1	2	3	4

19 जल संरचनायें (निस्तार/सिंचाई, तालाब, सार्वजनिक कूप, बावड़ी, स्टॉप डेम/चेक डेम इत्यादि) :–

क्र.	जल संरचना का प्रकार	कुल निर्मित जल संरचनायें	सुधार योग्य पूर्व से निर्मित जल संरचना			अपलेखन योग्य जल संरचनाओं की संख्या	अपलेखन का संभावित दिनांक	अभियान के दौरान चिन्हित नवीन जल संरचना			स्वीकृत नवीन संरचनाओं की संख्या	स्वीकृत नवीन जल संरचनाओं की राषि (रू.लाख में)
			संख्या	तैयार किये गये प्राक्कलन की संख्या	प्राक्कलनों की कुल राषि (लाख में)			संख्या	तैयार किये गये प्राक्कलन की संख्या	प्राक्कलनों की कुल राषि (लाख में)		
	1.स्टॉप डेम											
	2.जलाशय											
	3.एनीकट											
	4.नहर											
	5.अन्य											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

नोट : ग्राम में जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार/मरम्मत के तकनीकी प्राक्कलन अभियान अवधि में जल संसाधन विभाग/ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के उपयंत्रिओं के द्वारा तैयार किये जाएगें, जिसका प्रारूप तालिका क्रमांक 20 पर दिया गया है।

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर ..... **सचिव के हस्ताक्षर.....**

20 स्टापडेम/जल संग्रहण संरचना की जानकारी – (जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं को छोड़कर)

(।) सामान्य जानकारी :–

1. जिला/विकासखण्ड :–
2. ग्राम पंचायत :–
3. जल संरचना का नाम :–
4. जल संरचना का प्रकार :– स्टापडेम/जलाशय/एनीकट/नहर/अन्य
5. विभाग जिसकी संरचना है :–
6. परियोजना का जलग्रहण क्षेत्र :–
7. परियोजना की रूपांकित जल संग्रहण क्षमता :–
8. परियोजना की वर्तमान जल संग्रहण क्षमता :–
9. जल संरचना की स्थिति :– अच्छी/मरम्मत योग्य/अपलेखन योग्य
10. अपलेखन योग्य हो तो कारण :–

(ठ) मरम्मत/जीर्णोद्धार प्रस्ताव :–

1. आवश्यक कार्य का विवरण एवं औचित्स :–
2. प्राक्कलन :–

आयटम	मात्रा	दर	लागत
1. मिट्टी कार्य			
2. कांक्रीट कार्य (अ) गिट्टी (ब) रेत (स) सीमेंट			
3. स्टापडेम गेट (अ) गेट की आवश्यकता (ब) गेट रिपेयर			
4. मजदूरी (अ) पिचिंग कार्य (ब) बोल्डर टो कार्य (स) मिट्टी स्प्रेडिंग कार्य (द) कम्पेक्शन कार्य (ई) कांक्रीट कार्य			
5. अन्य			
योग			

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर ..... **सचिव के हस्ताक्षर.....**

(ब) सामान्य जानकारी :–

(अ) उपयंत्री, जल संसाधन विभाग का नाम तथा स्थल निरीक्षण दिनांक :–

(ब) उपयंत्री ग्रामीण यांत्रिकी विभाग का नाम तथा स्थल निरीक्षण दिनांक :–

(स) सहायक यंत्री (जल संसाधन विभाग) का नाम तथा स्थल निरीक्षण दिनांक :–

(द) प्रस्ताव में दी गई जानकारी सत्य एवं सही है सहायक यंत्री (जल संसाधन विभाग) द्वारा प्रमाणीकरण :–

(इ) कार्यपालन यंत्री का अभिमत (आवश्यक हो तो) :–

उपयंत्री ग्रामीण यांत्रिकी विभाग	उपयंत्री जल संसाधन उपसंभाग	अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन उपसंभाग
.....	.....	.....	.....

21 पेयजल :– हेण्डपम्प/पेयजल कूप/नलजल योजनायें :–

क्र.	स्त्रोत	कुल स्थापित/ निर्मित	चालू	बंद	अभियान के दौरान बंद स्त्रोत में से कितनों को चालू कराया गया	अभियान के दौरान उपयोग में लाए जा रहे स्त्रोतों के पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण का विवरण			अमानक पाए गए स्त्रोतों में से कितने स्त्रोत बंद किये गये
						कुल परीक्षण	मानक पाए गए स्त्रोत	अमानक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	हेण्डपम्प								
	कूप								
	नलजल योजनायें								
	अन्य '								

' अन्य में स्त्रोत का उल्लेख करें।

22 आवासीय पट्टों/भू–धारक प्रमाण पत्र का वितरण :–

क्रं.	अभियान के पूर्व प्रदत्त पट्टों/भू–धारक प्रमाण पत्रों की संख्या	अभियान के दौरान वितरित पट्टों/ भू–धारक प्रमाण पत्रों की संख्या	अभियान उपरांत कुल वितरित पट्टों/ भू–धारक प्रमाण पत्रों की संख्या
1	2	3	4

23 वनाधिकार पट्टों का वितरण :–

क्रं.	अभियान के पूर्व प्रदत्त वनाधिकार पट्टों की संख्या	अभियान के दौरान वितरित वनाधिकार पट्टों की संख्या	अभियान उपरांत कुल वितरित वनाधिकार पट्टों की संख्या
1	2	3	4

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर ..... **सचिव के हस्ताक्षर**.....

24 मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013) :–

क्रं.	वर्तमान में कुल लाभांवित परिवार	पात्र परिवार में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्रों की संख्या	स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	स्वीकृत में से पात्रता पर्ची वितरण की संख्या
1	2	3	4	5

कृषि विकास योजना :–

ग्राम उदय से भारत उदय कार्यक्रम

15 अप्रैल से 15 मई 2016 के मध्य सघन ग्राम सभाएँ (3 दिवसीय) के तीसरे दिवस "किसान सभा" के रूप में आयोजन हेतु किसान सभा आयोजित की जावेगी । इन किसान सभाओं में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, म्त्स्यपालन आदि के मैदानी अमले के साथ ही कृषि विशेषज्ञ की सेवायें भी ली जावेंगी । जिन ग्राम पंचायतों में 01 मार्च, 2016 से 28 मार्च, 2016 तक किसान सभाऐं आयोजित की गई थीं वहॉ भी सघन ग्राम सभा के तीसरे दिन किसान सभा आयोजित की जावे ।

इन किसान सभाओं में निम्न गतिविधियॉ ली जावें :–

1. **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रचार–प्रसार :–**

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वास्तविक प्रीमियम ;।च्द्ध दरें,में से किसानों को खरीफ मौसम में 2 प्रतिशत, रबी फसलों में 1.5 प्रतिशत तथा वार्षिक नगदी (कपास)/वार्षिक बागवानी फसलों में 5 प्रतिशत या वास्तविक दर जो भी कम हो देय होगी। शेष प्रीमियम राशि शासन (राज्य+केन्द्र) द्वारा अंश के रूप में बीमा कंपनी को प्रदाय की जावेगी। बीमा आवरण ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य तथा गैर ऋणी किसानों के लिए ऐच्छिक है । अऋणी किसानों को भू–अधिकार पुस्तिका, घोषणा पत्र, बोनी प्रमाण पत्र (पटवारी/ग्राम पंचायत) बीमा कम्पनी/बैंक शाखा बीमा कम्पनी के एजेण्ट के माध्यम से ।च्त में किसान अंश के साथ जमा कर बीमा आवरण प्राप्त किया जा सकेगा । प्रीमियम जमा कराने की खरीफ में अंतिम तिथि 16 अगस्त तथा रबी में अंति तिथि 16 जनवरी नियत है ।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जिला स्तर पर फसल के लिए निर्धारित बीमित राशि स्केल ऑफ फायनेंस (ऋणमान) होगी। फसल बीमा के दावों की गणना में विगत 07 वर्ष के फसल कटाई प्रयोगों में से उत्पादकता में प्राकृतिक आपदा से दो सबसे खराब उत्पादकता को कम करके 05 वर्ष की उत्पादकता का औसत होगा। मूँग, उड़द फसल के दावों की गणना में विगत 03 वर्ष के फसल कटाई प्रयोगें को शामिल किया जावेगा। खरीफ 2016 से प्रारम्भ हो रही योजनाओं में 80 प्रतिशत क्षतिपूर्ति स्तर नियत किया गया है ।

ओला, भू–स्खलन, जलप्लावन आदि आपदाओं से जो नुकसान एक सीमित क्षेत्र/एक हिस्ता (पट्टी) के किसानों को होता है, को पहली बार शामिल किया गया है। इस योजना में फसल बोने/रोपने के पश्चात मौसम की विपरीत परिस्थितियों के कारण फसल को नुकसान होने पर किसान को बीमित राशि

25 प्रतिशत का भुगतान तत्काल किये जाने की व्यवस्था की गई है। इस योजना में फसल कटने के 14 दिन की अवधि में कट कर रखी फसल के नुकसान जो तूफान, असामयिक वर्षा से होता है को पहली बार नवीन योजना में शामिल किया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रदेश के कम से कम 50 प्रतिशत किसानों की बीमा आवंटित किया जाना है ।

2. स्वाईल हेल्थ कार्ड योजनाः–

भारत सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु प्रदेश के सभी कृषकों को स्वाईल हैल्थ कार्ड प्रदाय करने के लिये वर्ष 2014–15 में स्वाईल हैल्थ कार्ड योजना लागू की गई है। योजना अंतर्गत प्रदेश के सम्पूर्ण ग्रामों को ग्रिड में तब्दील करते हुए ग्रिडवार मिट्टी नमूना लिया जाना है। ग्रिड का आकार सिंचित क्षेत्र हेतु 2.5 है0 तथा असिंचित क्षेत्र हेतु 10 है0 होगा। प्रत्येक ग्रिड से कम–कम एक मिट्टी नमूना लिया जाकर ग्रिड में आने वाले अधिकतम 10 कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड निःशुल्क प्रदाय किया जावेगा ।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड में फसलों के मुख्य तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, के साथ ही मिट्टी में उपलब्ध सूक्ष्मतत्व जैसेः सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नेशियम तथा बोरान तत्वों की उपलब्धता की जानकारी के साथ ही मिट्टी का पी.एच मान ऑर्गेनिक कार्बन तथा इलेक्ट्रीकल कंडेक्टेविटी की जानकारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से दी जावेगी। मृदा में उपलब्ध तत्वों के आधार पर कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से फसलवार/किस्मवार रासायनिक/जैविक खाद संतुलित मात्रा की अनुशंसा किया जाना है। किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड के प्रति जागरूक बनें । इसके प्रयास ग्राम उदय से भारत उदय अभियान में किया जाना है । प्रत्येक ग्राम पंचायत में तैयार मृदा स्वास्थ्य कार्डों का वितरण भी किसान सभाओं में किया जावे ।

3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना :–

उत्तम कृषि उत्पादकता हेतु जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है, इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू की गई है। योजना का उद्देश्य हर खेत तक किसी न किसी माध्यम से सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करना तथा हर बूँद से अधिक फसल ली जाना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत प्रत्येक जिले का एक जिला सिंचाई योजना (क्च्ब्) 6 वर्ष की अवधि के लिए तैयार किया जाना है। इसके निम्न घटक हैः–

1. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम ।बबमसमतंजमक प्ततपसहंजपवद ठमदमपिज च्तवहतंउउ ;।प्ठच्द्ध
2. हर खेत को पानी
3. प्रति बूँद अधिक फसल ;च्मत क्तवच डवतम ब्तवचद्ध
4. जल ग्रहण विकास कार्यक्रम
5. मनरेगा के अभिसरण से नवीन तालाब/स्टॉप डेम का निर्माण, तालाब/स्टॉप डेम की मरम्मत/जीर्णोद्धार ।
6. किसान सभाओं में तैयार किए गए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के ग्राम प्लान को जिले की क्च्ब् में समाविष्ट किया जावे । वे समस्त कार्य जो मनरेगा, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना/माननीय विधायक/माननीय सांसद विकास निधि, पंचायत निधि आदि से किए जाने हैं, उन्हें प्लान में चिन्हांकित किया जावे ।

4. प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि प्लॉन तैयार किए जावेंगे :–

प्रत्येक ग्राम का खरीफ एवं रबी मौसम का ग्रामवार कार्यक्रम तैयार किया जावेगा। जिसमें प्रत्येक ग्राम की भौगोलिक आधारभूत जानकारी मृदा स्थिति, सिंचाई स्त्रोत, सिंचित क्षेत्र, खरीफ एवं रबी फसलों का क्षेत्राच्छादन एवं प्रस्तावित क्षेत्राच्छादन, फसलों की नवीन किस्मों के बीज की मांग, संकर किस्मों के बीज की मांग, नई फसलों की संभावना, बीज का जीवाणू टीकाकरण की मांग, उर्वरक की खपतएवं मांग, कीटनाशक, कृषि उपकरण, जैविक खेती, सब्जी क्षेत्राच्छादन एवं प्रस्तावित क्षेत्राच्छादन की जानकारी, कृषि उद्यानिकी, कृषिवानिकी पौधों की मांग, पशुधन की मांग, मतस्य पालन का क्षेत्र आदि गतिविधियों पर ग्रामसभा में चर्चा कर ग्रामवार कृषि प्लॉन तैयार किया जाना है। ग्रामवार कृषि प्लॉन का पत्रक **परिशिष्ठ–1** पर संलग्न है।

5. खेत के 1/3 हिस्से में कृषि वानिकी का प्रसार :–

कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार चयनित फसल पद्धति, कृषि उद्यानिकी, कृषि वानिकी संबंधी विस्तृत तकनीकी जानकारी से ग्राम सभा में किसानों को अवगत कराया जावेगा। वानिकी फसलों में जैसेः बबूल, सुबबूल, साल, बॉस, शीशम, नीम, बेर आदि के साथ समावेशित करने हेतु उपयुक्त फल वृक्ष जैसेः अमरूद, ऑवला, जामुन, नीबू, मुॅनगा एवं कृषि फसलें जैसे धान, गेहू, मक्का, अरहर, मूॅग, उडद, मसूर, सोयाबीन आदि एवं चारा फसले जैसे ज्वार, चरी, मक्का, बाजरा, जई, नेपियर घॉस, बरसीम आदि का चयन कर ग्राम के लिए फसल, कृषि उद्यानिकी, कृषि वानिकी पद्धति से किया जावे। इसमें प्रत्येक कृषकों को अपने खेतों के 1/3 हिस्सों में कृषि वानिकी/कृषि उद्यानिकी लगाने के लिए प्रेरित किया जावे। कृषि जलवायु क्षेत्रवार कृषि उद्यानिकी, कृषि वानिकी, वानिकी चारागाह के विकल्पों की तकनीकी जानकारी किसान सभाओं में किसानों को प्रदान की जावे।

6. नवीन वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रचार–प्रसारः–

नवीन वैज्ञानिक पद्धतियों में विशेष रूप से उन तकनीकों को सम्मिलित किया जाये जिनके परिणामों से कृषक परिचित हो चुके हैं। स्थानीय सफलता की कहानियो के माध्यम से इन पद्धतियों को अपनाने के लिये प्रेरित किया जाये, संभवहो सके तो सफलता की कहानियां अपनाने वाले कृषकों / स्वयं की जानकारी दें। रबी और खरीफ की कृषि कार्यमाला से अवगत कराते हुए फसलों की लागत–उत्पादन विश्लेषण को भी समझाया जाये, जिससे कि वैकल्पिक फसल उत्पादन के प्रति किसानों की रूचि बढ़ाई जा सके। रबी तथा खरीफ की मुख्य फसलों की कृषि कार्यमाला मुद्रित करवाई जाकर वितरित की जावे, पंचायत स्तर तक आवश्यक रूप से प्रकाशित साहित्य की प्रतियां रखवाई जायें। प्रमुख उत्पादक बिन्दुओं के सचित्र पोस्टर्स मुद्रित करवा कर प्रत्येक ग्राम के मुख्य स्थानों पर चस्पा किये जायें।

जिन प्रमुख तकनीकों के प्रचार–प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जाना है, वे निम्नानुसार हैं–

- **अन्तरवर्तीय फसलें–** कृषि जलवायु के अनुसार ऐसी फसलों का चयन किया जाये जो परस्पर उत्पादन वृद्धि में सहायक हों तथा मौसम की विपरीत परिस्थितियों में जोखिम को कम करके लाभ बढ़ा सकती हों। जैसे

क.	अंतरवर्तीय फसल	कतार
अ.	**खरीफ फसल –**	
1	मक्का + सोयाबीन	2 : 4
2	कपास + सोयाबीन	2 : 2
3	सोयाबीन + अरहर	4 : 2
4	मक्का + कपास	2 : 2

5	मक्का + मूंग	2 : 2
6	अरहर + उड़द	2 : 2
7	अरहर + मक्का	1 : 2
8	तिल + उड़द	2 : 2
9	तिल + मूंग	1 : 1
ब.	**रबी फसल**	
1	चना + सरसों	9 : 1
2	गन्ना + चना	1 : 2
3	गन्ना + मूंग	1 : 1
4	गन्ना + धनियां	1 : 3
5	सरसों + मसूर	1 : 9

स.	फलों के बगानों में अंतरवर्तीय फसलों को बढ़ावा
1	आम + हल्दी/अदरक
2	नीबू/अनार/अमरूद + मेथी
3	मोसम्बी + धनियां व मेथी
4	संतरा /अमरूद + मटर
5	केला + प्याज/चना
6	हल्दी + अरण्डी
7	हल्दी + अरहर

- **गहरी जुताई–**गहरी जुताई प्रत्येक तीन वर्ष में आवश्यक रूप से की जावे। गहरी जुताई से भूमि के नीचे चले जाने वाले पोषक तत्व ऊपर की ओर आ जाते हैं, जिससे भू उर्वरता में सुधार होता है। खरपतवार नियंत्रण के अलावा कीड़ों के अंडे, शंखी आदि ऊपर आकर धूप से नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार रोगों के प्रसारक फफूंद के माईसीलियम भी नष्ट होने से आगामी फसलें स्वस्थ रहती हैं। इस तकनीकी का बड़ा लाभ यह है कि मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है तथा सतह के फसल अवशेष आदि नीचे जाकर, वर्षा काल में सड़कर उर्वरता वृद्धि करते हैं।

- **रिज फरो एव ब्रॉड बेड पद्धति**–यह पद्धतियां खेती मे क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने तथा उत्पादन लागत को कम करके अधिकतम उत्पादन की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी हैं। सोयाबीन की फसल में रिज एंड फरो या मेड़ कूंड पद्धति के सफल प्रयोग राज्य भर में देखे गये हैं। इसमें फसलो की क्यारी को सामान्य से ऊपर बनाया जाता है तथा समुचित गहराई की नालियां बनाई जाती हैं। इसका लाभ यह होता है कि अधिक वर्षा की स्थिति में अतिरिक्त जल निकास होकर नालियों से बाहर निकल जाता है। वहीं कम वर्षा होने अथवा विलम्बित वर्षा की स्थिति में नालियों में जमा पानी अथवा नमी का लाभ मिलने से फसल सुरक्षित रहती है। विभाग द्वारा इस पद्धति के लिये ट्रैक्टर्स की बौवाई मशीन में किये जाने वाले टाइन्स के अटैचमेंट के लिये 85 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। अतः इन पद्धतियों का भरपूर प्रचार प्रसार किया जाये तथा चित्रों के माध्यम से रिज एंड फरो मैथड से लहलहाती फसलों के लाभ समझाये जायें।

- **कस्टम हायरिंग केन्द्र**–किसानों को मंहगे आधुनिक यंत्र क्रय करने पर होने वाले आर्थिक बोझ से बचाने के लिये कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना प्रत्येक जिले में की गई है। नजदीकी कस्टम हायरिंग केन्द्रो से ट्रैक्टर सहित छोटे–बड़े कृषि यंत्र किराये पर लिये जा सकते है। इस प्रकार समय पर कृषि कार्य कर अधिक उत्पादन सुनिश्चित किया जा सकता है। किसानों को निकटतम कस्टम हायरिंग केन्द्रों की जानकारी तथा उपलब्ध यंत्रों के साथ यंत्रीकरण का महत्व भी समझाया जाये। विभाग द्वारा बैल चलित, हस्त चलित तथा शक्ति चलित यंत्रों पर दिये जाने वाले अनुदान तथा टाप अप अनुदान की चर्चा भी की जाये।

- **बीजोपचार**–फसल रोगों से बहुत बड़ी उत्पादन क्षति होती है तथा किसानों को फसलों की उपज के साथ उद्यानिकी फसलों, विशेषकर सब्जियों व फलों की खेती में आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर फसलों में प्रारम्भिक अवस्था मे होने वाले रोगों की रोकथाम बीजोपचार से की जा सकती है। बीजोपचार के लिये फसलों के अनुसार थायरम, कार्बान्डाजिम आदि रासायनिक बीजोपचार दवा अथवा ट्राइकोडर्मा जैसी जैविक फफूंदनाशी दवाओं का प्रयोग कारगर रहता है। यह सामग्री विभाग द्वारा अनुदान पर उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ साथ धूप से उपचार या नमक के घोल से बीज शोधन की सरल विधियां भी किसानों को समझाई जायें।

- **मल्चिंग**–खरपतवार, कीट तथा बीमारी की समस्याएं प्रमुख रूप से फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। इनके निवारण के लिये वानस्पतिक मल्चिंग का प्रयोग कई किसान करते भी हैं।इसका महत्वपूर्ण लाभ तब अधिक मिलता है जब नमी का संकट फसलों को हो।वर्तमान में मल्चिंग की आधुनिक विधियां प्लास्टिक मल्चिंग के रूप में सामने आ रही है। किसानों को इस विधि के साथ –साथ मल्चिंग की स्थानीय विधियां तथा लाभ के बारे में समझाया जाये।

- **जीरो टिलेज**–यह विधि शीघ्र फसल उत्पादन या रिले फसल पद्धति के लिये उपयोगी मानी जाती है। इसमें आगामी फसल के लिये खेत की तैयारी में लगने वाले समय को बचाने के लिये खड़ी फसल की कटाई के साथ ही अगली फसल की बोवाई कर दी जाती है। इस विधि से खेत की नमी का लाभ भी बोई जाने वाली फसल को मिल जाता है। भूमि के प्रकार तथा बोई जानेवाली फसलों के अनुसार ही जीरो टिलेज अपनाने की सलाह किसानों को दी जाये। इस संबंध में कृषि वैज्ञानिकों की अनुशंसाओं के अनुसार मार्गदर्शन प्रदान किया जाये।

7. फसल चक्र परिवर्तन ;ब्तवच त्वजंजपवदद्ध :–

लगातार एक ही प्रकार की फसलें लेने से कीट और रोगों को लगातार होस्ट अथवा पोषक फसलें मिलती रहती हैं जिससे फसल क्षति बढ़ने की संभावना रहती है। उकठा जैसे रोग फसल चक्र में परिवर्तन न किये जाने का बड़ा उदाहरण है। इसी प्रकार लगातार सोयाबीन या गेहूं अथवा धान वर्ष दर वर्ष एक ही खेत में बोई जाने से उपज में कमी आने का अनुभव प्रायःसभी किसान कर रहे हैं। अतः फसल कार्यक्रम में परिवर्तन कर बदल–बदल कर फसलें बोने का क्रम अपनाने की सलाह प्रत्येक किसान को दें। फसल चक्र मे कृषि के साथ उद्यानिकी फसलें, हरी खाद वाली फसलें और दलहनी फसलों को भी प्राथमिकता से सम्मिलित करवाएं, जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहे। पारम्परिक फसलों के अलावा व्यवसायिक रूप से फायदेमंद फसलें जैसे ग्वारगम, अरंडी, कुसुम आदि का समावेश कराया जावेगा।

8. फसल विविधीकरण ;ब्तवच क्पअमतेपपिबंजपवदद्ध :–

प्रदेश में लगातार एक फसलीय पद्धति से हो रहे नुकसान को देखते हुए फसल विवधीकरण हेतु जागरूकता लाना आवश्यक है। इस उद्देश्य से सोयाबीन के विकल्प के रूप में संकर धान, संकर मक्का, मूंगफली, संकर बाजरा, अरहर आदि फसलों को बढावा दिया जावे। इसके अतिरिक्त अधिक लाभकारी फसले जैसेः अरंडी, कुसुम, ग्वारगम आदि को बढावा देने हेतु आवश्यक जानकारियाँ दी जावे। उद्यानिकी फसलों जैसेः आम, अमरूद, संतरा आदि बगीचों के साथ अंर्तवर्तीय फसलों के माध्यम से कृषकों की आय बढ़ाने हेतु सुझाव दिये जावें।

लगातार एक ही प्रकार की फसलें लेने के स्थान पर, कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर फसल चक्र जल एवं पोषक तत्वों के समूचित उपयोग की सलाह दी जायेगी। किसान स्वयं आत्मनिर्भर बन सके और अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ दैनिक या साप्ताहिक रूप से कुछ न कुछ आमदनी प्राप्त कर सके, इसलिये उसे वर्ष भर आय देने वाली कृषि एवं उद्यानिकी तथा कृषि वानिकी की फसलों के लाभ के साथ कृषि कार्यमाला विस्तार से समझाई जाय।

9. कृषि में लागत कम करने के उपायों पर चर्चा :–

खेती में लाभ बढ़ाने के लिये आवश्यक है कि बढ़ती उत्पादन लागत को कम किया जा सके। इसके लिये आधुनिक कृषि प्रणाली और परम्परागत कृषि पद्धति के मध्य संतुलन बनाया जाना जरूरी है। प्रदेश के शतप्रतिशत क्षेत्र में मृदा नमूने एकत्रित कर स्वाइल हैल्थ कार्ड जारी कराये जावे, जिसके आधार पर उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढावा मिलेगा और रासायनिक उरर्वकों के उपयोग को सीमित कर लागत में कमी की जा सकेगी। इसी दिशा में जीवाणु खाद जैसे राइजोबियम कल्चर, पीएसबी, एजोटोबैक्टर, एजोस्पीरिलियम, ब्ल्यू ग्रीन एल्गी का प्रयोग, जैविक बीजोपचार, उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग तथा एकीकृत कीट प्रबंधन के माध्यम से आदानों में लगने वाले व्यय को कम किया जावे। इस हेतु मॉडल डेमॉन्सट्रेशन फार्म तैयार किये जाकर समेकित खेती दिखायी जावे। इसी प्रकार कृषकों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध स्वयं के साधनों से जैविक कीटनाशकों के उत्पादन का प्रशिक्षण भी दिया जावे। अधिक से अधिक जैविक उर्वरकों के उपयोग को बढावा दिया जाए। इससे ग्राम स्वच्छता अभियान को भी बल मिलेगा तथा उत्पादन लागत में भी कमी आयेगी।

स्वयं के द्वारा बीज उत्पादन, जैविक उत्पादकों का समूह निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण तथा परिरक्षण आदि को प्रोत्साहित कर किसानों की आय को बढ़ाने वाले उपायों को समझाया जाये।

10. जैविक कृषि तकनीकों का प्रचार–प्रसार :–

प्रदेश में जैविक खेती को बढावा देने के लिए जैविक कृषि की स्थानीय पद्धतियों जैसे वर्मी कम्पोस्ट, नॉडेप, बायोगैस स्लरी तथा शीघ्र जैविक खाद जैसे अमृत भभूत, मटका खाद आदि के बारे मे किसानों को विस्तारपूर्वक समझाया जाये तथा साहित्य वितरण किया जाये। जिन किसानों द्वारा जैविक खेती की जा रही है,उनके प्रक्षेत्र का भ्रमण करवाया जाकर सफल किसानों के माध्यम से ही अन्य किसानों को अनुभव सुनवाये जायें। जैविक खेती से पर्यावरण के साथ–साथ भूमि की संरचना, जल संचयन तथा उत्पादन की गुणवत्ता पर होने वाले लाभों का प्रदर्शन चार्ट, पोस्टर्स तथा प्रक्षेत्र भ्रमण के द्वारा किया जाये।

प्रदेश के समस्त 51 जिलों में आत्मा समितियों को जैविक प्रतिभूति प्रणाली (पी.जी.एस) से जोडा गया है तथा इनके द्वारा उत्पादित प्रमाणित जैविक उत्पाद के विपणन की व्यवस्था फार्मर प्रोडयूसर कंपनी के माध्यम से की जावे। इस हेतु जैविक किसानों के समूह गठित किये जायें। जैविक उत्पादों के विपणन से अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिये जैविक उत्पादों के गुणवत्ता वर्धन को बढ़ाने के उपाय बताये जावे। पीजीएस प्रणाली के माध्यम से जैविक प्रमाणीकरण की राह को किस प्रकार सुगम बनाया जा सकता है, इसकी व्यापक चर्चा करते हुए जैविक प्रमाणीकरण की सरलीकृत पद्धति की भी चर्चा आवश्यक रूप से की जाये। खेत की मिट्टी के उर्वरता को पुनः स्थापित करने के लिए जैविक पद्धतियों को बढावा देने हेतु अभियान चलाया जावे।

11. मनरेगा में मेरा खेत मेरी माटी योजना अंतर्गत किसान हितग्राहियों के खेतों पर ऑन फार्म एवं ऑफ फार्म कार्यो की समीक्षा की जावे एवं नवीन ऑन फार्म एवं ऑफ फार्म कार्यो को ग्राम सभा में स्वीकृत कराया जावे।

12. हितग्राही मूलक योजनाओं में लाभान्वित कृषकों और उन्हें दिये गये लाभों की सूची का वाचन ग्राम सभा में किया जावे।

13. उद्यानिकी विकास– चयनित क्लस्टर के ग्रामों में उद्यानिकी योजनाओ की जानकारी तथा इच्छुक किसानों के योजनावार नाम ग्राम सभा में संकलित किये जावें। **कृषि विकास**

परिशिष्ट–1

ग्राम उदय से भारत उदय कार्यक्रम अंतगत ग्राम पंचायतवार कृषि प्लान

1. ग्राम पंचायत का नाम :–
2. ग्राम का नाम :–
3. ग्राम की आधारभूत जानकारीः–
   - 3.1 कुल भौगोलिक क्षेत्र :–
   - 3.2 चरनोई भूमि :–
   - 3.3 वनों का क्षेत्रफल :–
   - 3.4 चालू एवं पुरानी पडती भूमि :–
   - 3.5 कृषि अयोग्य पडती भूमि :–
   - 3.6 खरीफ का कृषि योग्य रकबा :–
   - 3.7 रबी का कृषि योग्य रकबा :–
   - 3.8 दो फसलीय क्षेत्र :–
4. कुल सिंचित क्षेत्र है0 :–
5. कुओं की संख्या :–
6. नलकूप की संख्या :–
7. नदी अथवा नालों से सिंचित रकबा :–
8. कृषकों का वर्गीकरणः–

(इकाई–संख्या)

लघु			सीमांत			अन्य		
सा.	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	सा.	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	सा.	अनु.जा.	अनु.ज.जा.

कृषि विकास

9. **नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर ..... विभागीय कर्मचारी के हस्ताक्षर ..... सचिव के हस्ताक्षर.....**

(इकाई–हेक्टर)

फसल का नाम	खरीफ 2015 में क्षेत्राच्छादन	खरीफ 2016 में प्रस्तावित क्षेत्राच्छादन
सोयाबीन		
धान		
ज्वार		
मक्का		
बाजरा		
अरहर		
योग		

10. रबी फसल क्षेत्राच्छादन की जानकारी

(इकाई–हेक्टर)

फसल का नाम	रबी 2015–16 में क्षेत्राच्छादन	रबी 2016–17 में प्रस्तावित क्षेत्राच्छादन
गेहूँ		
जौ		
चना		
सरसों		
मसूर		
योग		

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर ..... **विभागीय कर्मचारी के हस्ताक्षर .....** **सचिव के हस्ताक्षर.....**

11. खरीफ में बीज की मांगः–

(इकाई–क्विंटल)

फसल का नाम	किस्म	मात्रा	किस्म	मात्रा	किस्म	मात्रा
सोयाबीन	जे.एस 97–52		जे.एस 20–29			
धान	जे.आर. 201		एम.टी.यू 1001			
मक्का	जे.एम 2016		पी.एम 5			
उडद	पी.यू 30					
अरहर	टी.टी 401		टी.जे.टी 501			

12. रबी में बीज की मांगः–

(इकाई–क्विंटल)

फसल का नाम	किस्म	मात्रा	किस्म	मात्रा	किस्म	मात्रा
गेहूँ	एच.आई 1544		जी.डब्ल्यू 366			
मटर	आई.पी.एफ 99–25		आई.पी.एफ 99–13			
चना	जे.जी–14		जे.जी–226			
सरसों						
मसूर	टी.टी 401		टी.जे.टी 501			

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर ..... **विभागीय कर्मचारी के हस्ताक्षर .....** **सचिव के हस्ताक्षर.....**

''ग्राम उदय से भारत उदय अभियान'' मध्यप्रदेष

13. खरीफ में संकर किस्मों के बीज की मांगः–

(इकाई–क्विंटल)

फसल का नाम	किस्म	मात्रा	किस्म	मात्रा	किस्म	मात्रा	किस्म	मात्रा
संकर मक्का								
संकर धान								
स्वीट कार्न								
संकर बाजरा								
संकर अरहर								
संकर ज्वार								

14. रबी में संकर किस्मों के बीज की मांग :–

(इकाई–क्विंटल)

फसल का नाम	**किस्म**	**मात्रा**	**किस्म**	**मात्रा**	**किस्म**	**मात्रा**	**किस्म**	**मात्रा**
संकर सरसों								

15. नई फसल के बीज की मांग

(इकाई–क्विंटल)

फसल	**खरीफ 2016**	**रबी 2016–17**
ग्वार गम		
अरण्डी		
कुसुम		
अन्य		

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर ..... **विभागीय कर्मचारी के हस्ताक्षर .....** **सचिव के हस्ताक्षर.....**

कृषि विकास

16. बीज का जीवाणु टीकाकरण की मांगः–

(इकाई–पैकेट)

खरीफ 2015 में खपत				खरीफ 2016 में मांग			
राइजोबियम	पी.एस.बी	एजेक्टोवेक्टर	अन्य	राइजोबियम	पी.एस.बी	एजेक्टोवेक्टर	अन्य

17. बीज का जीवाणु टीकाकरण की मांगः–

(इकाई–पैकेट)

रबी 2015–16 में खपत				रबी 2016–17 में मांग			
राइजोबियम	पी.एस.बी	एजेक्टोवेक्टर	अन्य	राइजोबियम	पी.एस.बी	एजेक्टोवेक्टर	अन्य

18. उर्वरकों की खपत एवं मांगः–

(इकाई–टन)

खरीफ 2015 में खपत					खरीफ 2016 में मांग				
यूरिया	डीएपी	एन.पी.के	एस.एस.पी	पोटाश	यूरिया	डीएपी	एन.पी.के	एस.एस.पी	पोटाश

19. उर्वरकों की खपत एवं मांगः–

(इकाई–टन)

रबी 2015–16 में खपत					रबी 2016–17 में मांग				
यूरिया	डीएपी	एन.पी.के	एस.एस.पी	पोटाश	यूरिया	डीएपी	एन.पी.के	एस.एस.पी	पोटाश

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर ..... **विभागीय कर्मचारी के हस्ताक्षर .....** **सचिव के हस्ताक्षर.....**

''ग्राम उदय से भारत उदय अभियान'' मध्यप्रदेष

20. अंतरवर्तीय फसलों को बढ़ाने का अभियान

(इकाई–हेक्टर में)

क.	अंतरवर्तीय फसल	वर्ष 2015–16 में क्षेत्राच्छादन	वर्ष 2016–17 में प्रस्तावित क्षेत्राच्छादन
अ.	**खरीफ फसल –**		
1	मक्का + सोयाबीन		
2	कपास + सोयाबीन		
3	सोयाबीन + अरहर		
4	मक्का + कपास		
5	मक्का + मूंग		
6	अरहर + उड़द		
7	अरहर + मक्का		
8	तिल + उड़द		
9	तिल + मूंग		
ब.	**रबी फसल**		
1	चना + सरसों		
2	गन्ना + चना		
3	गन्ना + मूंग		
4	गन्ना + धनियां		
5	सरसों + मसूर		

स.	फलों के बगानों में अंतरवर्तीय फसलों को बढ़ावा		
1	आम + हल्दी/अदरक		
2	नीबू/अनार/अमरूद + मेथी		
3	मोसम्बी + धनियां व मेथी		
4	संतरा /अमरूद + मटर		
5	केला + प्याज/चना		
6	हल्दी + अरण्डी		
7	हल्दी + अरहर		

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर ..... विभागीय कर्मचारी के हस्ताक्षर ..... सचिव के हस्ताक्षर.....

''ग्राम उदय से भारत उदय अभियान'' मध्यप्रदेष

21. कीटनाशक दवा की मांग

(इकाई–किलो/लीटर में)

खरीफ 2015 में खपत		खरीफ 2016 में मांग	
नाम	मात्रा	नाम	मात्रा

22. कीटनाशक दवा की मांग

(इकाई–किलो/लीटर में)

रबी 2015–16 में खपत		रबी 2016–17 में मांग	
नाम	मात्रा	नाम	मात्रा

23. कृषि उपकरण :–

(इकाई–संख्या)

कृषि यंत्र का नाम	उपलब्ध कृषि यंत्रों की संख्या	कृषि यंत्रों की प्रस्तावित मांग

24. जैविक खेतीः–

(इकाई–हेक्टर में)

	खरीफ –2015	खरीफ –2016
फसल का नाम	वर्तमान रकबा	प्रस्तावित रकबा

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर ..... **विभागीय कर्मचारी के हस्ताक्षर** ..... **सचिव के हस्ताक्षर**.....

25. जैविक खेतीः–

(इकाई–हेक्टर में)

	रबी 2015–16	रबी 2016–17
फसल का नाम	वर्तमान रकबा	प्रस्तावित रकबा

26. फसल बीमा हेतु फसलवार क्षेत्र

फसल का नाम	प्रस्तावित रकबा हेक्टर में	प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए सहमत किसानों की संख्या

27. सब्जी क्षेत्राच्छादन की जानकारी

(इकाई–हेक्टर में)

फसल का नाम	वर्ष 2015–16 में क्षेत्राच्छादन	वर्ष 2016–17 में प्रस्तावित क्षेत्राच्छादन
आलू		
प्याज		
टमाटर		
भिण्डी		
लौकी		
करेला		
मटर		
गोभी		
योग		

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर ..... **विभागीय कर्मचारी के हस्ताक्षर .....** **सचिव के हस्ताक्षर.....**

28. कृषि उद्यानिकी पौधों की मांग :–

फसल का नाम	प्रस्तावित रकबा **(हेक्टर में)**	पौध संख्या
आम		
अमरूद		
नीबू		
कटहल		
केला		
संतरा		

29. कृषि वानिकी पौधों की मांग :–

फसल का नाम	प्रस्तावित रकबा **(हेक्टर में)**	पौध संख्या
सूबबूल		
शीशम		
बेर		
नीम		
महुआ		
जामुन		
साल		

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर ..... **विभागीय कर्मचारी के हस्ताक्षर** ..... **सचिव के हस्ताक्षर**.....

30. पशुधन :–

पशुधन	वर्तमान में संख्या	उत्पादन			प्रस्तावित मांग	प्रस्तावित उत्पादन		
		दुग्ध (लीटर)	अण्डा (संख्या)	मांस (किलो)		दुग्ध (लीटर)	अण्डा (संख्या)	मांस (किलो)
गाय								
भैंस								
बकरी								
कुक्कुट								

31. मत्स्य पालन का क्षेत्रः–

(इकाई–हेक्टर में)

मत्स्य पालन का क्षेत्र	प्रस्तावित मत्स्य पालन का क्षेत्र

अन्य गतिविधियां :–

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर ..... **विभागीय कर्मचारी के हस्ताक्षर** ..... **सचिव के हस्ताक्षर**.....

षिक्षा विभाग :–

ग्राम उदय से भारत उदय

स्कूल शिक्षा विभाग की निम्नानुसार जानकारी ग्राम सभा में दी जाए

1ण स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा गत वर्ष से 30 प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण किये जाने की कार्यवाही की जा रही है इसके लिए प्रत्येक बच्चे का समग्र होना आवश्यक है| अतः सभी परिवार अपने परिवार का परिवार एवं सभी सदस्यों का समग्र सदस्य अपने पास रखे यदि नहीं हो तो स्थानीय निकाय के माध्यम से एक आई डी प्रूफ देते हुए बनवाया जा सकता है यह पूर्ण रूप से निःशुल्क बनाया जाता है | इस का उपयोग सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों के साथ साथ समस्त हितग्राही मूलक योजनाओं के लाभ लेने के लिए किया जाता है |

लगभग सभी हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ अब बैंक खाते में दिया जाने लगा है अतः लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सदस्य का बैंक खाता हो यह सुनिश्चित किया जाना है |

2ण कक्षा 8 वी पास करने वाले बच्चों को कक्षा 9 वी एवं कक्षा 10 पास करने वाले बच्चों को कक्षा 11 वी में दर्ज कराने की शपथ दिलाई जाये तथा कोई छात्र शाला त्यागी न रहे |

ग्राम में कक्षा 8 वी पास कर 9 वी में प्रवेश योग्य बच्चों की संख्या	ग्राम में कक्षा 10 वी पास कर 11 वी में प्रवेश योग्य बच्चों की संख्या	किये जा रहे प्रयास

3ण शालाओं को परिसरों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाये |

ग्राम शालाओं की संख्या	ग्राम में शालाओं की संख्या जिनमे अतिक्रमण है	अतिक्रमण मुक्त करने के लिए किये जा रहे प्रयास

4ण शाला परिसरों को तम्बाकू मुक्त बनाएं तथा कोई भी छात्र इसका सेवन न करे इसके लिए प्रोत्साहित किया जाये |

5ण स्कूल चले हम -

इस संबंध में ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में ग्राम शिक्षा पंजी के अद्यतीकरण संबंधी कार्य किया जाये।। इसमें विशेष रूप से 6 से 14 आयु समूह के सभी बच्चों के नामांकनए उनकी शाला में उपस्थिति पर चर्चा की जाये।। ल।तार एक माह तक अनुपस्थित अथवा वि। त तीन माह में 20 प्रतिशत से कम औसर उपस्थित वाले बच्चों को शाला से बाहर के बच्चों की श्रेणी में रखा ।या है। विभा। द्वारा शाला से बाहर बच्चों की शिक्षा एवं उनका शालाओं में ठहराव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दस्तक अभियान संचालित किया जा रहा है। शाला से बाहर बच्चों को आवासीय/ ।र आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से उनकी आयु अनुरूप दक्षताओं को सुनिश्चित कराते हुए उनके शाला में नामांकन एवं ठहराव पर जिम्मेदारी का निर्धारण करते हुए आ।ामी स्कूल चले हम अभियान कार्यक्रम के क्रियान्वयन की रणनीति तय की जाये।। इसके लिए जानकारी का संकलन संलग्न प्रपत्र-1 में किया जाये।।

6ण विद्यालयीन परिसम्पतियों का सत्यापन -

स्कूल शिक्षा विभा। के पोर्टल पर जी.आई.एस. मेपिं। के आधार पर विद्यालय के भवनए शौचालयए किचन शेडए हेण्ड पम्प एवं बाउण्ड्रीवाल आदि की जानकारी उपलब्ध है। ग्राम सभा में विद्यालय की सभी परिसम्पतियों का अद्यतीकरण एवं सत्यापन किया जाये।। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा शाला भूमि के अतिक्रमण को समाप्त कराते हुए राजस्व अभिलेख में शाला की भूमि (रकबा तथा खसरा नम्बर) को दर्ज कराया जाये।। यह जानकारी विद्यालय के साथ-साथ संबंधित ग्राम पंचायत के पास भी उपलब्ध रहे।।

7ण शाला विकास योजना का प्रस्तुतीकरण -

शिक्षा का अधिकार कानून के तहत राज्य द्वारा बनाये ।ये निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार नियमए 2011 में किये ।ये प्रावधान अनुसार प्रदेश की सभी शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में शाला प्रबंधन समिति का ।ठन किया जा चुका है। शाला प्रबंधन समितियों द्वारा आ।ामी तीन वर्ष के लिये विद्यालय की शाला विकास योजना तैयार की ।ई है। ग्राम विकास योजना के अंतर्।त ग्राम सभा में इस योजना का प्रस्तुतीकरण किया जाये।। एवं आवश्यकतानुसार इसमें सुधार कर क्रियान्वयन की कार्यवाही की जाये।। इसके लिए जानकारी का संकलन संलग्न प्रपत्र-2 में किया जाये।।

"ग्राम उदय से भारत उदय अभियान" मध्यप्रदेष

प्रपत्र – 1

ग्राम/वार्ड शिक्षा रजिस्टर (बसाहट वार प्रपत्र)
वर्ष 2016–17

विकासखण्ड	**विधान सभा क्षेत्र क्रमांक**	**जन शिक्षा केन्द्र का नाम**
ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय का नाम	**राजस्व ग्राम/वार्ड क्रं. का नाम**	**बसाहट का नाम**

लक्ष्य, नामांकन एवं शाला से बाहर बच्चे – अद्यतन किये गये ग्राम शिक्षा रजिस्टर ;टम्ल्द्ध **के अनुसार**

क्रं.	विवरण	लक्ष्य जन संख्या			दर्ज बच्चे			शाला से बाहर बच्चे			ब्ैछ (विशेष आवश्यकता वाले बच्चे)		
		बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1	6+ से 11 वर्ष के बच्चे												
2	11+ से 14 वर्ष के बच्चे												
3	6 से 14 वर्ष के कुल बच्चे												

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर ..... **विभागीय कर्मचारी के हस्ताक्षर** ..... **सचिव के हस्ताक्षर**.....

''ग्राम उदय से भारत उदय अभियान'' मध्यप्रदेष

प्रपत्र –2

शाला विकास योजना

;ल्मंत 2016.17द्ध

शाला विकास योजना के बिन्दु जो ग्राम विकास योजना के तहत सम्मिलित किया जाते है।

शाला का नाम : **डायस कोड.....**

1. बच्चों की संख्या बालक ..... बालिका ..... कुल ..... औसत उपस्थिति .....
2. कुल शिक्षकों की संख्या ..... प्रशिक्षित संख्या ..... अप्रशिक्षित संख्या ..... त्ज्म् आधार पर आवश्यक शिक्षकों की संख्या .....
3. शाला में पदस्थ शिक्षकों की उपस्थिति (वार्षिक औसत)
4. किस विषय में शिक्षक की आवश्यकता है विषय 1 ..... 2 .....3 .....
5. शाला से बाहर बच्चों की संख्या (बसाहट में) बालक ..... बालिका ..... कुल .....
6. यदि शाला प्राथमिक है एवं मापदण्डानुसार माध्यमिक शाला की आवश्यकता है तो निम्नाकिंत प्रपत्र भरें।
7. प्रतिभा पर्व में शाला का ग्रेड।
8. शाला में प्रतिभा पर्व के पश्चात विशेष शिक्षण व्यवस्था की गई कि नहीं ?
9. शाला शिक्षा कोष में जमा कुल राशि रुपये .....
10. विद्यालय में बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक शौचालय की उपलब्धता की स्थिति।
11. विद्यालय में पीने के पानी की उपलब्धता की स्थिति।
12. विद्यालय में मध्यान्ह भोजन हेतु किचन शेड की स्थिति।
13. पंचायत द्वारा शाला की पंच परमेश्वर योजना द्वारा नियमित सफाई एवं रखरखाव की व्यवस्था की स्थिति।

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर ..... **विभागीय कर्मचारी के हस्ताक्षर .....** **सचिव के हस्ताक्षर.....**

ग्राम पंचायत विकास योजना ळच्क्च

"स्मार्ट ग्राम – स्मार्ट पंचायत"

किसी भी क्षेत्र के विकास के लिये दो घटक महत्वपूर्ण है एक संसाधनों की उपलब्धता और दूसरा क्षेत्र की प्राथमिकताऐं । **एक व्यवस्थित तरीके से संसाधनों और प्राथमिकताओं के मध्य व्यवहारिक सामंजस्य कर तैयार किये गये अभिलेख को उस क्षेत्र विशेष के लिये विकास योजना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।** प्रदेश की स्तिरीय पंचायत व्यवस्था में संसाधनों और प्राथमिकताओं के व्यवहारिक सामंजस्य के लिये ग्रामपंचायत ही मूल इकाई है इसलिये इस प्रकिया को गाम पंचायत विकास योजना के नाम से संबोधित किया गया है।

प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास योजना को स्मार्ट ग्राम–स्मार्ट पंचायत नाम दिया गया है अर्थात नियोजन की नियत प्रकिया अपना कर ग्राम पंचायत द्वारा अंतिम रूप से तैयार किये गये अभिलेख को "स्मार्ट ग्राम –स्मार्ट पंचायत" नाम दिया जाएगा।

प्रदेश में इस संबंध में माह अक्टूबर में विस्तृत मार्गदर्शिका तैयार कर प्रेषित की जा चुकी है साथ ही समय समय पर पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा भी ग्राम पचांयत विकास योजना के संबध में समय–समय पर जो निर्देश जारी किये गये है वह भी जनपद एंव जिला स्तर तक प्रेषित किये गये है। मार्गदर्शिका तथा पूर्व में जारी निर्देशों के अनुक्रम में दिनांक 14 अप्रैल 2016 से दिनांक 31 मई 2016 तक संचालित होने वाले ग्राम उदय से भारत उदय अभियान अवधि में ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने की कार्यवाही संपादित करनी है। अतः पूर्व में जारी मार्गदर्शिका अनुसार कार्यवाही कर संलग्न प्रपत्रों में निम्नानुसार जानकारी प्रविष्ट की जाना सुनिशिचित करें–

प्रपत्र – 01 रिसोर्स एनवलप का निर्धारण

ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली समस्त राशियों तथा अन्य संसाधनों को एकजायी कर **"रिसोर्स एनवलप"** नाम से संबोधित किया गया है । रिसोर्स एनवलप में निम्न राशियॉ सम्मिलित होगीं –

1. ग्राम पंचायतों को करों, शुल्क,ब्याज ,किराया आदि से प्राप्त होने वाली स्वंय की आय
2. 14वे वित आयोग से प्राप्त होने वाली राशि।
3. लेबर बजट अनुसार मनरेगा में ग्राम पंचायत के लिये नियत राशि
4. राज्य सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदाय की जाने वाली समस्त राशियॉ।
5. राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा अपनी नीति के तहत ग्राम पंचायतों को जारी की जाने वाली राशियॉ
6. जनपद पंचायत, जिला पंचायत एवं जिला कलेक्टर द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त राशियॉ ।
7. अन्य ऐसी योजनाऐं जिनमें ग्राम पंचायतों को सीधे राशि प्राप्त नहीं होती है पर वह अपनी पंचायत क्षेत्र के लिये हितग्राही या गतिविधि चयन कर उन योजनाओं का लाभ ग्राम पंचायत क्षेत्र में ले सकती है उनका आंकलन करके रिसोर्स एनवलप में सम्मिलित किया जाना होगा। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, इंदिरा आवास योजना आदि ।

प्रपत्र 02 – स्थिति विशलेषण ैपजनंजपवद ।दंसलेपे

ग्राम पंचायत विकास योजना की कार्यवाही प्रारंभ करन के पूर्व नियत ग्रामीण सहभागी प्रबंधन तरीकों से विभिन्न क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के सभी ग्रामों की स्थिति का विशलेषण किया जावेगा। विशलेषण उपरांत यह जानकारी प्रपत्र 03 में तैयार की जावेगी। प्रपत्र तीन के कॉलम क्रमांक एक में उल्लखित सेक्टर की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी पूर्व में प्रसारित मार्गदर्शिका (स्माट ग्राम – स्मार्ट पंचायत) से प्राप्त की जा सकती है।

प्रपत्र 03– ग्राम सभा द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सार्वजनिक निर्माण कार्य

ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थिति का विशलेषण कर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार आवश्यक कार्यो तथा उनकी प्राथमिकताओं को चिन्हित कर उनकी प्रविष्टि प्रपत्र 02 में की जानी है। प्रपत्र में चिन्हित कार्यो को विभागवार भरा जावे अर्थात एक विभाग से संबधित कार्यो को एक प्रपत्र मे भरा जावे। यह प्रपत्र वर्षवार भी तैयार किया

जाना है अर्थात वित्तीय वर्ष 2016–17 में किये जाने वाले कार्यो का एक प्रपत्र इसी प्रकार आगामी 5 वित्तीय वर्ष में लिये जाने वाले कार्यो के लिये प्रथक प्रथक प्रपत्र भरे जाने है। ऐसे चिन्हित कार्य जिनके संबंध में कार्यवाही जिला या राज्य स्तर से अपेक्षित हो उनके लिये उक्त प्रारूप में ही प्रथक प्रपत्र तैयार किया जाकर ग्राम पंचायत विकास योजना में तैयार किया

प्रपत्र 4 –**ग्राम सभा द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित हितग्राही मूलक निर्माण कार्य**

ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थिति का विशलेषण कर प्रभावी योजनाओं/कार्यक्रम अनुसार हितग्राही मूलक निर्माण कार्यो तथा उनके प्राथमिकता क्रम को चिन्हित कर उनकी प्रविष्टि प्रपत्र 03 में की जानी है। प्रपत्र में चिन्हित कार्यो को विभागवार प्रचलित योजना तथा कार्यक्रम अनुसार भरा जावे अर्थात एक विभाग से संबधित हितग्राहीमूलक निर्माण कार्यो को एक प्रपत्र मे भरा जावे। यह प्रपत्र वर्षवार भी तैयार किया जाना है अर्थात वित्तीय वर्ष 2016–17 में लाभान्वित किये जाने वाले हितग्राहियों का एक प्रपत्र इसी प्रकार आगामी 5 वित्तीय वर्ष में लाभान्वित किये जाने वाले हितग्राहियों के लिये प्रथक प्रथक प्रपत्र भरे जाने है।

प्रपत्र 05– ग्राम सभा द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित हितग्राही मूलक गतिविधियों हेतु

ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थिति का विशलेषण कर प्रभावी योजनाओं/कार्यक्रम अनुसार निर्माण कार्यो से प्रथक हितग्राही मूलक लाभों/सेवाओं/सुविधाओं के लिये चिन्हत व्यक्त्यिों तथा उनके प्राथमिकता क्रम को चिन्हित कर उनकी प्रविष्टि प्रपत्र 04 में की जानी है। प्रपत्र में चिन्हित कार्यो को विभागवार प्रचलित योजना तथा कार्यक्रम अनुसार भरा जावे अर्थात एक विभाग से संबधित हितग्राहीमूलक लाभों/सेवाओं/सुविधाओं को एक प्रपत्र मे भरा जावे। यह प्रपत्र वर्षवार भी तैयार किया जाना है अर्थात वित्तीय वर्ष 2016–17 में लाभान्वित किये जाने वाले हितग्राहियों का एक प्रपत्र इसी प्रकार आगामी 5 वित्तीय वर्ष में लाभान्वित किये जाने वाले हितग्राहियों के लिये प्रथक प्रथक प्रपत्र भरे जाने है।

प्रपत्र 06– **लागत रहित ; ब्वेज स्मेद्ध कार्यक्रम**

ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने की प्रकिया में वह कार्यक्रम तथा गतिविधियॉ जो नियमित रूप से संपादित होती है उन्हीं में सधन दृष्टिकोण अपना के ग्राम पचांयत में एक आदर्श स्थिति प्राप्त करने का संकल्प या निर्णय ग्राम सभा के द्वारा किया जा सकता है। इसी प्रकार केवल समाजिक जागरूकता या प्रतिबद्वता के आधार पर भी ग्राम पंचायत को प्रथक पहचान दी जा सकती है। इस प्रकार के कार्यक्रम को लागत रहित ; ब्वेज स्मेद्ध कार्यक्रम कहा गया है। उदाहरण के रूप में यदि कोई ग्राम पंचायत यह निर्णय लेती है कि पंचायत क्षेत्र के समस्त निशःक्त्जनों (दिव्यांगों)को शासकीय योजनाओं का लाभ दिया जा चुका है, निशःक्तजनों को समान सम्मान दिया गया है तथा समस्त सार्वनिक स्थानों में बाधारहित सुविधाऐं विकसित की जा चुकी है तो वह ग्राम पंचायत "निशःक्तजन (दिव्यांग)मित्र ग्राम पंचायत" के रूप में स्वंय को घोषित कर सकती है। इसी तरह के सुझावात्मक विषय प्रपत्र –05 में दिये गये है।

प्रपत्र 07 –ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित किये गये सामुदायिक/व्यक्तिगत निर्माण कार्यो का गोश्वारा

प्रपत्र 03 एवं 04 में विभागवार तथा स्तर वार तैयार की गयी कार्यवाही को ग्राम पंचायत स्तर पर प्रपत्र 07 में संकलित किया जावेगा।

प्रपत्र 08 –ग्राम पंचायत द्वारा हितग्राहीमूलक कार्यक्रम अंतर्गत चिन्हित किये गये हितग्राहियों का गोश्वारा

प्रपत्र 5 में विभागवार तैयार की गयी कार्यवाही को ग्राम पंचायत स्तर पर पर ग्राम प्रपत्र 09 में संकलित किया जाना है।

प्रपत्र 09– ग्राम पंचायत विकास योजना ळच्क्च् का सुझावात्मक प्रारूप

ग्राम पचांयत द्वारा विकास योजना तैयार करने के संबध में की गयी समस्त गतिविधयों को प्रपत्र 10 में संकलित किया जाकर । ग्राम पंचायत विकास योजना का प्रारूप तैयार किया जावेगा।

प्रपत्र – 1

ग्राम पंचायत विकास योजना ळच्क्च
रिसोर्स एनवलप का निर्धारण

क्रमांक	योजना का नाम/संसाधन	वित्तीय वर्ष				
		2016–17	2017–18	2018––19	2019–20	2020–21
01	पंचपरमेष्वर (14वॉ वित्तराज्य वित्त)					
02	स्वंय की आय (कर, फीस,किराया आदि)					
03	मनरेगा					
04	स्वच्छ भारत मिषन					
05	इंदिरा आवास योजना					
06	ग्रामीणजन द्वारा स्वेच्छा से प्रदत्त दान राषि					
07	अन्य स्त्रोत					
08	अन्य स्त्रोत					
09	अन्य स्त्रोत					
10	अन्य स्त्रोत					
योग						

- बिंदु क्रमांक 6 में ग्राम पंचायत क्षेत्र के निवासियों द्वारा ग्राम पंचायत विकास के लिये दी जाने वाले सहयोग राषि का उल्लेख किया जाना है।
- अन्य स्त्रोतों में ग्राम पंचायत विषेष को बिंदु क्रमांक 01 से 05 तक उल्लखित विषयों से से प्रथक , विषयों को सम्मिलित किया जाना है जैसे केन्द्र या राज्य सरकारी की अन्य योजनाऐं जिनका क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के द्वारा किया जा रहा है, औध्योगिक सामाजिक देयता (ब्ै) आदि.

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर ..... **सचिव के हस्ताक्षर.....**

प्रपत्र – 2

ग्राम पंचायत विकास योजना ळच्क्च

स्थिति विशलेषण Situation Analysis

सेक्टर	कार्य / गतिविधि	वर्तमान स्थिति	आवश्यकता	निराकरण
01	2	3	4	5
आर्थिक विकास				
मानव विकास				
सामाजिक विकास				
अधोसंरचनात्मक विकास / मूलभूत सुविधाऐं				
प्राकृतिक संसाधन विकास				
सुशासन एवं सेवाओं की आदयगी				
संवेदनशील समूह जैसे महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, विकास				
लागत रहित ; ब्वेज स्मेद्ध विकास				

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर ..... **सचिव के हस्ताक्षर.....**

''ग्राम उदय से भारत उदय अभियान'' मध्यप्रदेष

प्रपत्र – 3

ग्राम पंचायत विकास योजना ळच्क्च वर्ष ––––––––––––– के निर्माण हेतु
ग्राम सभा द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सार्वजनिक निर्माण कार्य

सेक्टर / विभाग––––––––––––––––––– स्तर – ग्राम पचांयत / जनपद पंचायत / जिला स्तर / राज्य स्तर

स. क्र.	कार्य का नाम	कार्य का स्थान	कार्य की इकाई संख्या / मीटर / किलोमीटर	कार्य की प्रकृति नया / सुधार	कार्य की अनुमानित लागत	कार्य के कियान्वयन हेतु वित्तीय स्त्रोत (योजना)	कार्य का प्राथमिकता कम
1	2	3	4	5	6	7	8
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

- प्रपत्र में चिन्हित कार्यो को विभागवार भरा जावे।
- यह प्रपत्र वर्षवार भी तैयार किया जाना है अर्थात वित्तीय वर्ष 2016–17 में किये जाने वाले कार्यो का एक प्रपत्र इसी प्रकार आगामी 5 वित्तीय वर्ष में लिये जाने वाले कार्यो के लिये प्रथक प्रथक प्रपत्र भरे जाने है।
- ऐसे चिन्हित कार्य जिनके संबंध में कार्यवाही जिला या राज्य स्तर से अपेक्षित हो उनके लिये उक्त प्रारूप में ही प्रथक प्रपत्र तैयार किया जाकर ग्राम पंचायत विकास योजना में तैयार किया जावे।

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर .... सचिव के हस्ताक्षर...

''ग्राम उदय से भारत उदय अभियान'' मध्यप्रदेष

प्रपत्र – 4

ग्राम पंचायत विकास योजना ळच्क्च वर्ष –––––––––––– के निर्माण हेतु

ग्राम सभा द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित हितग्राही मूलक निर्माण कार्य

सेक्टर / विभाग–––––––––––––––––

स. क्र.	ग्राम का नाम	हितग्राही का नाम / पिता या पति का नाम	जाति /वर्ग	बी.पी.एल	चिन्हित कार्य	कार्य की अनुमानित लागत	कार्य के कियान्वयन हेतु वित्तीय स्त्रोत (योजना)	हितग्राही का प्राथमिकता क्रम
1	2	3	4	5		6	7	8
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

- प्रपत्र में चिन्हित हितग्राहियों को विभागवार भरा जावे।
- यह प्रपत्र वर्षवार भी तैयार किया जाना है अर्थात वित्तीय वर्ष 2016–17 में लाभान्वित किये जाने वाले हितग्राहियों का एक प्रपत्र इसी प्रकार आगामी 5 वित्तीय वर्षो के लिये प्रथक प्रथक प्रपत्र भरे जाने है।

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर ....

सचिव के हस्ताक्षर..

प्रपत्र – 5

ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP वर्ष –––––––––––– के निर्माण हेतु

ग्राम सभा द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित हितग्राही मूलक गतिविधियों (सामाजिक सहायता कार्यकम आदि)हेतु

सेक्टर/विभाग––––––––––––––––––

स. क.	ग्राम का नाम	हितग्राही का नाम / पिता या पति का नाम	जाति /वर्ग	बी.पी.एल	चिन्हित लाभ	लाभ प्रदाय किये जाने हेतु वित्तीय स्त्रोत (योजना)	हितग्राही का प्राथमिकता कम
1	2	3	4	5		7	8
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

- प्रपत्र में चिन्हित हितग्राहियों को विभागवार भरा जावे।
- यह प्रपत्र वर्षवार भी तैयार किया जाना है अर्थात वित्तीय वर्ष 2016–17 में लाभान्वित किये जाने वाले हितग्राहियों का एक प्रपत्र इसी प्रकार आगामी 5 वित्तीय वर्षो के लिये प्रथक प्रथक प्रपत्र भरे जाने है।

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर ..... सचिव के हस्ताक्षर.....

प्रपत्र – 6

ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP – स्मार्ट ग्राम – स्मार्ट पंचायत

लागत रहित ; Cost Less) कार्यक्रम

क्रमांक	वर्ष	कार्यक्रम तथा की जाने वाली गतिविधियों का विवरण	क्रियान्वयन की प्रकिया	अपेक्षित परिणाम
1	2	3	4	5

लागत रहित कार्यक्रम एवं गतिविधयों से आश्य उन गतिविधियों या कार्यक्रमों से है जिनके लिये प्रथक से राशि की आवश्कयता नहीं होती है तथा प्रचलित योजनाओं/कार्यक्रमों में विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाकर इन गतिविधियों को संचालित कर एक उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है. ली जा सकने वाली गतिविधियों की सांकेतिक सूची निम्नानुसार है–

स्मार्ट ग्राम पंचायत/संपूर्ण रोजगारयुक्त ग्राम पंचायत/ग्रीन ग्राम पंचायत/संपूर्ण जल संरक्षित ग्राम पंचायत/जैव विविधता युक्त ग्राम पंचायत/मुकदमा मुक्त ग्राम पंचायत/नशामुक्त ग्राम पंचायत/अपराध मुक्त ग्राम पंचायत/साक्षर ग्राम पंचायत/गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत/बंधुआ श्रम मुक्त ग्राम पंचायत/बाल श्रम मुक्त ग्राम पंचायत/पारदर्शी ग्राम पंचायत/ई–ग्राम पंचायत/डिजीटल ग्राम पचांयत/वाई–फाई ग्राम पचांयतभ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत/लिंग समानुपात ग्राम पंचायत/कुपोषण मुक्त ग्राम पंचायत/बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत/वृद्वजन मित्र ग्राम पंचायत/निशःक्त मित्र ग्राम पंचायत/स्वच्छ ग्राम पंचायत/खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायत/बीमारी(टी.बी, मलेरिया, एड्स) मुक्त ग्राम पंचायत/जैविक ग्राम पंचायत/स्मार्ट स्कूल ग्राम पंचायत/इको टूरिज्म मित्र ग्राम पंचायत/पर्यावरण मित्र ग्राम पंचायत/प्रदूषण मुक्त ग्राम पंचायत/ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन युक्त ग्राम पंचायत/आवासहीन मुक्त ग्राम पंचायत/बिजली कनेक्शन युक्त ग्राम पंचायत/शत प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा युक्त ग्राम पंचायत/खेल मित्र ग्राम पंचायत/शासकीय देयक मुक्त ग्राम पंचायत।

अन्य थीम या उ्देश्य जो जिले के द्वारा/ जनपद पंचायत के द्वारा / ग्राम पंचायत के द्वारा / ग्राम सभा द्वारा अपनाने का निर्णय लिया जावे।

प्रपत्र – 7

ग्राम पंचायत विकास योजना– ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित किये गये सामुदायिक/व्यक्तिगत निर्माण कार्यो का गोश्वारा वर्ष 2016–17 से वर्ष 2020–21 तक की अवधि के लिये वार्षिक योजना

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत को प्राप्त होने वाले अनुमानित संसाधन (रिसोर्स एनवलप)	ग्राम सभा द्वारा सुझाए गये कार्यो की संख्या		ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने योग्य पाये गये कार्यो की संख्या		ग्राम सभा द्वारा अंतिम अनुमोदित कार्यो की संख्या		अंतिम अनुमोदति कार्यो की कुल अनुमानित लागत	
			सामुदायिक	व्यक्तिगत	सामुदायिक	व्यक्तिगत	सामुदायिक	व्यक्तिगत	सामुदायिक	व्यक्तिगत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
01	2016–17									
02	2017–18									
03	2018–19									
04	2019–20									
05	2020–21									
	योग									

✓ कॉलम क्रमांक 03 में प्रपत्र एक अनुसार रिसोर्स एनवलप में आंकलित संसाधनों का उल्लेख किया जावे।

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर ..... **सचिव के हस्ताक्षर.....**

प्रपत्र – 8

ग्राम पंचायत विकास योजना ळच्च – ग्राम पंचायत द्वारा हितग्राहीमूलक कार्यक्रम अंतर्गत चिन्हित किये गये हितग्राहियों का गोश्वारा वर्ष 2016–17 से वर्ष 2020–21 तक की अवधि के लिये वार्षिक योजना

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	कार्यक्रम / योजना जिसमें लाभ के लिये चिन्हित किया गया	चिन्हित हितग्राहियों की संख्या		
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	अन्य
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
01	2016–17				
02	2017–18				
03	2018–19				
04	2019–20				
05	2020–21				
योग					

✓ **नोट– यह प्रपत्र कार्यक्रम/योजनावार तैयार किया जाना है अर्थात एक कार्यक्रम/योजना का एक प्रपत्र**

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर ..... **सचिव के हस्ताक्षर.....**

प्रपत्र – 9

ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP का सुझावात्मक प्रारूप

अनुक्रमणिका

1. परिचय :
2. ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण :
3. पंचायत का विजन स्टेटमेन्ट : (ग्राम पंचायत स्वंय को किस रूप में विकसित करना चाहती है)
4. ग्राम पंचायत के पास अनुमानित संसाधन (रिसोर्स एनवलप)
5. स्थिति विश्लेषण का विवरण : पायी गयी कमिया तथा समाधान
6. बैठक का कार्यवृत्त एवं प्रतिभागियों की सूची :
7. ग्राम पंचायत योजना में लिए गये कार्यों का संक्षिप्त विवरण :
    1. ग्राम पंचायत विकास योजना में लिए गये सार्वजनकि निर्माण कार्यो विस्तृत विवरण :
    2. ग्राम पंचायत विकास योजना में लिये गये व्यक्गित निर्माण कार्यो का विस्तृत विवरण :
    3. ग्राम पंचायत विकास योजना में लिये गये सेवा/लाभ/सुविधा प्रदान करने संबंधी हितग्राहीमूलक कार्यक्रमः
    4. ग्राम पंचायत विकास योजना में लिये गये लागत रहित ; ब्वेज स्मेद्ध कार्यक्रम :
    5. ग्राम पंचायत विकास योजना में लिये गये आर्थिक विकास कार्यक्रमः
    6. ग्राम पंचायत विकास योजना में लिये गये मानव विकास कार्यक्रमः
    8. ग्राम पंचायत विकास योजना में लिये गये सामाजिक विकास कार्यक्रम
    9. गाम पंचायत विकास योजना में लिये गये सुशासन एवं सेवाओं की अदायगी संबंधी कार्यकमः
    10. ग्राम पंचायत विकास योजना में लिये गये प्राकृतक संसाधन संरक्षण/संवर्धन संबंधी कार्यक्रम
    11. ग्राम पंचायत विकास योजना में लिये गये संवेदनशील समूहों संबंधी कार्यक्रम
8. गतिविधियो के क्रियान्वन के लिये समय सीमा का निर्धारण
9. गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिये तकनीकि सहायकता का आंकलन
10. अन्य आवश्यक बिंदं एवं परिशिष्ट

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**
महिला पंच	सरपंच	सचिव	नोडल अधिकारी

1. पंच ग्राम ..... हस्ताक्षर .....
2. पंच ग्राम ..... हस्ताक्षर .....
3. पंच ग्राम ..... हस्ताक्षर .....

नोट :– ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले सभी ग्रामों के कम से कम एक पंच का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।

समग्र डाटाबेस के आधार पर हितग्राही मूलक योजनाओं का सर्वव्यापीकरण के लिए मार्गदर्शिका

हितग्राही मूलक योजनाओं का सर्वव्यापीकरण "ग्राम उदय से भारत उदय" अभियान का एक मुख्य लक्ष्य है। ग्राम संसद का द्वितीय दिवस पूर्णतः विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के अन्तर्गत सत्यापन एवं पात्रता परीक्षण के लिए आरक्षित है। शासन की यह मंशा है कि अभियान के क्रियान्वयन के बाद कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रहे।

समग्र डाटाबेस का उपयोग करते हुए हितग्राही मूलक योजनाओं का सर्वव्यापीकरण के साथ–साथ एबीसी (आधार, बैंक एकाउण्ट, सेल नम्बर) से समग्र डाटाबेस को सीड करने की कार्यवाही अपेक्षित है। साथ ही, समग्र में विद्यमान डुप्लीकेट एंट्रीज का निरस्तीकरण एवं बीपीएल सूची, श्रमिक सूची का सत्यापन अभियान अन्तर्गत मुख्य लक्ष्य है।

उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समग्र डाटाबेस से तैयार किया गया एक पंजी सभी ग्राम पंचायतों के लिए प्रदाय किया जा रहा है, जो ग्राम पंचायतों के लिए स्थाई अभिलेख के रूप में रहेंगे, जिसका प्रारूप संलग्न है। यह पंजी ग्राम अन्तर्गत परिवारों के मुखिया के नाम का वर्णक्रमानुसार (।सचींइमजपबंस व्तकमत) सृजित किये गये, ताकि किसी भी परिवार के अभिलेख खोजने में समय न लगे, साथ ही दोहरीकरण परिवारों /सदस्यों के इंद्राज में हो तो स्वतः स्पष्ट होकर आसानी से निराकरण किया जा सके।

समग्र डाटाबेस में आधार, बैंक एकाउण्ट, सेल नम्बर, बीपीएल स्टेट्स आदि के बारे में पूर्व से दर्ज जानकारी इस प्रारूप में प्रि–प्रिंटेड उपलब्ध रहेंगे, जिसको ग्राम संसद की कार्यवाही के दौरान सत्यापित कर सुधारात्मक प्रविष्टियां ग्राम पंचायत का सचिव कर सकता है। सुधार का इंद्राज समग्र डाटाबेस में करने के पश्चात, उन स्थानों पर ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लाल स्याही से घेरा लगाया जायेगा ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सुधार डाटाबेस में हुआ है या नहीं ।

महत्वपूर्ण एवं यूनिवर्सल (न्दपअमतेंस) हितग्राही मूलक योजनाओं के लिए प्रदाय प्रपत्र में प्रत्येक व्यक्ति के आगे स्थान रिक्त किये गये हैं, जहां हितग्राही मूलक येाजनाअें में संबंधित का पात्रता परीक्षण, **बिना किसी आवेदन की प्रतीक्षा किये** ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया जाना है। योजना में व्यक्ति पात्र होने की स्थिति में संबंधित जगह पर '√' (सही का निशान) लगाया जाए एवं अपात्र या हितग्राही, योजना अन्तर्गत लाभ नहीं चाहने का प्रमाण उपलब्ध होने पर क्रॉस (ग्) का निशान अंकित किया जाये। पात्रता अनुसार हितग्राही को लाभ की प्राप्ति होने पर (√) (सही के निशान के ऊपर गोला करना है) का निशान लगाया जाय। "ग्राम उदय से भारत उदय अभियान" के दौरान इस विधि से नागरिकों का परिचय किया जायेगा एव ग्राम पंचायत अन्तर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा हेतु यह अभिलेख आने वाले समय पर भी उपयोग किये जाएंगे। प्रत्येक हितग्राहीमूलक योजना का मैदानी अमले के द्वारा किया गया प्रचार–प्रसार एवं पात्रता परीक्षण इस पंजी के माध्यम से स्वतः स्पष्ट होगा।

पात्रता एवं सेवा प्रदायगी की स्थिति के इंद्राज हेतु समग्र डाटाबेस में आगामी समय पर व्यवस्था की जाएगी, जिस माध्यम से लाभान्वित हितग्राही को प्रदाय होने का प्रमाण सहित जानकारी एकत्रित की जाएगी, ताकि हितग्राही मूलक योजनाओं का सर्वव्यापीकरण का सही परिदृश्य प्राप्त हो सके। योजना अन्तर्गत परीक्षण में पात्रता पाये जाने की स्थिति में हितग्राही को लाभ प्रदाय करने हेतु आवश्यक समस्त कार्यवाही संबंधित मैदानी अमले का रहेगा। किये गये प्रयास का प्रमाण स्वरूप स्थाई अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा आगामी ग्राम सभाओं में प्रस्तुत करती रहेगी।

––

''ग्राम उदय से भारत उदय अभियान'' मध्यप्रदेष

ग्राम उदय से भारत उदय अभियान - 2016 | √ पात्र | X अपात्र | √ पात्र एवं लाभार्थी | हितग्राही पंजी

जिला: GUNA जनपद पंचायत: CHACHODA ग्राम पंचायत: BHAMAVAD ग्राम :

Family ID / Member ID / Mobile No	Member Name / DOB / Aadhar No	Gender / Category / BPL	Branch Name / A/C No / IFSC Code	Is PwD / PwD Type (%)	Is Pensioner / Pension Type / Patrata Parchi / PH Category	Aabadi Patta / Bhu Dharak Patra	Kisan Credit Card	Check Eligibility for Pension	PM Jeevan Jyoti Yojna	PM Crop Insurance	PM Suraksha Bima Yojna	Aam Aadmi Bima Yojna	Atal Pension Yojna	Construction Worker	Mazdoor Suraksha Scheme	Kesh Shilpi Shramik	Driver Conductor	Mand Hammal and Tulavti Shramik	Bidi Shramik Shramik	
35902750 / 164312393	GAYTRI BAI / 01/01/1975	F / OBC / No		N	N / N									N	N		N	N	N	
35902750 / 164312392	RAGHUVEER KANVER / 01/01/1970	M / OBC / No	Kumbhraj / 33037622743 / SBIN0030101	N	N / N									N	N		N	N	N	
35902750 / 164312393	GAYTRI BAI / 01/01/1975	F / OBC / No		N	N / N									N	N		N	N	N	
35902750 / 164312392	RAGHUVEER KANVER / 01/01/1970	M / OBC / No	Kumbhraj / 33037622743 / SBIN0030101	N	N / N									N	N		N	N	N	